न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 177/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :–** 2024/402
दायर दिनांक :– 30.10.2024 **निर्णय दिनांक :–** 22.12.2024

1. निजरा पत्नी किशनसिंह जाति राजपूत निवासी दादू का गांव तहसील बज्जू जिला बीकानेर

वादी..........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आशय से पेश किया कि वादीनी की खातेदारी अधिकरों की कब्जा व काश्त भूमि खसरा नम्बर 67/4 रकबा 6.5964 हैक्टेयर सरहद मौजा खाखूरी पटवार हल्का नुरे की भुर्ज तहसील बाप में स्थित है। जमाबंदी सम्वत 2077–2080 संलग्न वाद पेश है। वादग्रस्त भूमि जरिये पंजीब, विक्रय पत्र के वादिनी ने खरीद की थी जिसमें वादिनी का नाम नजरकंवर पुत्री पीरदानसिंह टंकित किया हुआ है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर खरीद अनुसार वादिनी के पक्ष में नामान्तरकरण भी भरा जाकर स्वीकृत हो चूका है। लेकिन वादिनी का सही एवं वास्तविक नाम निजरा पत्नी किशनसिंह है। इसी नाम से वादिनी के पहचान संबंधित दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बने हुवे है। और घर परिवार व गांव में भी वादिनी को वर्तमान में निजरा पत्नी किशनसिंह के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है। लेकिन तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि राजस्व अभिलेख जमाबंदी का आगामी चौसाला तैयार करते समय सरासर गलत तरीके से अपनी मनमर्जी से नजरकंवर पत्नी पीरदानसिंह दर्ज कर दिया जबकि पीरदानसिंह निजरा के पिता का नाम है। वर्तमान में वादिनी का नजरकंवर पत्नी पीरदानसिंह दर्ज है। इसलिये वादिनी उपरोक्त वर्णित खसरान् क्र भूमि में गलत रूप से दर्ज नाज नजरकंवर पत्नी पीरदानसिंह के स्थान पर सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम निजरा पत्नी किशनसिंह के नाम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारिणी है। जिसका यह दावा पेश है।

वादिनी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि ग्राम खाखुरी के

22/12/24
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

खसरा नम्बर 67/4 रकबा 6.5964 हैक्टेयर भूमि में वादिनी को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर वादिनी के नाम को गुणावगुण पर सही किया जाता है तो कोई एजराज नहीं है। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई। अधिवक्ता वादिनी साक्ष्य नहीं करवाना चाहते है। पत्रावली बहस में रखी गयी।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2077-2080 ग्राम खाखूरी पटवार हल्का नुरे की भुर्ज के खसरा नम्बर 67/4 रकबा 6.5964 हैक्टेयर स्थित है। वादिनी का नाम राजस्व रेकर्ड में नजरकंवर पत्नी पीरदानसिंह दर्ज है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से साबित है कि वादिनी का नाम निजरा पत्नी किशनसिंह है। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने वादिनी का नाम सही दर्ज किये जाने पर किसी प्रकार कोई एतराज नहीं के कथन किये गये। वादिनी ने अपने वाद को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत पेश किये है। अतः वादिनी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादिनी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम खाखूरी पटवार हल्का नुरे की भुर्ज के खसरा नम्बर 67/4 रकबा 6.5964 हैक्टेयर भूमि में वादिनी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम नजरकंवर पत्नी पीरदानसिंह के स्थान पर निजरा पत्नी किशनसिंह नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. निजरा पत्नी किशनसिंह जाति राजपूत निवासी दादू का गांव तहसील बज्जू जिला बीकानेर

वादी...........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 177 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम खाखूरी पटवार हल्का नुरे की भुर्ज के खसरां नम्बर 67 / 4 रकबा 6.5964 हैक्टेयर भूमि में वादिनी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम नजरकंवर पत्नी पीरदानसिंह के स्थान पर निजरा पत्नी किशनसिंह नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। नीचे

मुतालिक — बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर — फीस सदी सालाना आज की तारीख

वसूल याबी तक — को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.12.2024 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)

सहायक कलक्टर

बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।